प्रेस नोट

दिनांक – 15/02/2021

थाना गढमुक्तेश्वर पुलिस द्वारा 03 नफर अभियुक्त को थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0स0 67/21 धारा 365/302/201/120बी /34 भादवि में गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.02.2021 को थाना हाजा पर वादी श्री दीपू उर्फ विक्रान्त पुत्र श्री वीर सिंह निवासी ग्राम नानपुर थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड द्वारा तहरीर दी कि मेरा भाई रामकुमार उर्फ मोनू उम्र करीब 26 वर्ष दिनांक 12.02.2021 समय 18.00 बजे ई रिक्शा से भाडा लेने के लिये ग्राम भोवापुर थाना सिम्भावलीके लिये गया था, जो वापस नहीं आया के सम्बन्ध में मु0अ0स0 67/21 धारा 365 भादवि पंजीकृत किया गया। अपहृत रामकुमार उर्फ मोनू की तलाश हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हापुड द्वारा जनपदीय टीम सी व थाना पुलिस टीम गठित की गयी।

श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हापुड के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी गढमुक्तेश्वर हापुड के पर्यवेक्षण में गठित टीमों द्वारा घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्त गण 1.राजू सिंह पुत्र रतनसिंह निवासी ग्राम सरूरपुर थाना गढमुक्तेश्वर जिला हापुड 2. गौतम सिंह पुत्र खुशीपाल सिंह निवासी ग्राम गैसूपुर थाना नरसैना जिला बुलन्दशहरकी निशादेही पर सरूरपुर के जंगल में ईख के खेत से अपहृत रामकुमार उर्फ मोनू का शव बरामद करते हुए मृतक का मोबाईल व पर्स मय कागजात बरामद किये गये व 3. सहअभियुक्त रामू पुत्र शौहन सिंह निवासी मकान नं0 145 गली नं0 02 मंदिर वाली गली जाटव मौहल्ला थाना टीलामोड जिला गाजियाबाद के कब्जे से मृतक रामकुमार उर्फ मोनू की मयूरी अभियुक्त के निवास जनपद गाजियाबाद से बरामद की गयी है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.राजू सिंह पुत्र रतनसिंह निवासी ग्राम सरूरपुर थाना गढमुक्तेश्वर जिला हापुड
2. गौतम सिंह पुत्र खुशीपाल सिंह निवासी ग्राम गैसूपुर थाना नरसैना जिला बुलन्दशहर
3.रामू पुत्र शौहन सिंह निवासी मकान नं0 145 गली नं0 02 मंदिर वाली गली जाटव मौहल्ला थाना टीलामोड जिला गाजियाबाद

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तगण से कडाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त राजू ने बताया कि मैंने अपने साले गौतम के साथ मिलकर 12.02.2021 की शाम को ही रामकुमार उर्फ मोनू की हत्या कर दी थी, तथा

शव सरूरपुर के जंगल में ईख के खेत में छिपा दिया था मुख्य अभियुक्त राजू ने यह भी बताया कि मृतक रामकुमार उर्फ मोनू से मेरे काफी समय से ताल्लुकात थे व मेरे घर अक्सर आया जाया करता था, दिनांक 12.02.2021 को मेरा उससे भाडे को लेकर विवाद हो गया जिस कारण मैने अपने सहअभियुक्त गौतम के साथ उसकी हत्या कर दी।

बरामदगी का विवरण-

1-एक मोबाईल वीवो रंग काला (मृतक रामू)
2-पर्स मय कागजात (मृतक रामू)
3-ई रिक्शा लाल रंग (मृतक रामू)
4-मफलर रंग काला (मृतक रामू)
5-हत्या में प्रयुक्त चाकू

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राजू सिंह उपरोक्त

1.मु0अ0स0 67/21 धारा 365/302/201/120बी /34 भादविथाना गढमुक्तेश्वर जिला हापुड।
2. मु0अ0स0 128/13 धारा 379/411 भादवि थाना गढमुक्तेश्वर जिला हापुड।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगौतम सिंह उपरोक्त

1.मु0अ0स0 67/21 धारा 365/302/201/120बी /34 भादवि थाना गढमुक्तेश्वर जिला हापुड।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रामू उपरोक्त

1.मु0अ0स0 67/21 धारा 365/302/201/120बी /34 भादवि थाना गढमुक्तेश्वर जिला हापुड।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक शीलेश कुमार थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड
2.व0उ0नि0 श्री कुशलपाल सिंह, थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड
3.उ0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह, थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड
4.उ0नि0 श्री अमित सिंह,थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड
5.हे0का0 राकेश कुमार, थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड
6.हे0का0 सचिन कुमार, थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड
7.हे0का0 मनोज कुमार, थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड
8.हे0का0 सुरेशचन्द्र, थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड
9. एसओजी प्रभारी उ0नि0 श्री नईम खान जनपदीय टीम-सी हापुड
10.हे0का0 सोनू कुमार जनपदीय टीम-सी
11.हे0का0 अनुज कुमार, जनपदीय टीम-सी
12.का0 राजीव कुमार जनपदीय टीम-सी
13.का0 अंकुर धामा जनपदीय टीम-सी
14. का0 प्रदीप कुमार सर्विलांस टीम हापुड